

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्य लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ-I

**कार्य का नाम: नरेला सबसिटी में मास्टर प्लान रोड का निर्माण।**

**उप-शीर्षक- नरेला सबसिटी में सेक्टर जी-3/जी-4 और सेक्टर जी-7/जी-8 को जोड़ने वाली 60 मीटर मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।**

वित्त सदस्य, डीडीए ने 113,58,57,569/- रुपये (एक सौ तेरह करोड़ अट्ठावन लाख सत्तावन हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये मात्र) के प्रारंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की है, जिसमें 3% आकस्मिक व्यय और 11.25% विभागीय प्रभार शामिल हैं।

उपरोक्त वित्तीय सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. पीई की जांच मोठे तौर पर पीई के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की गई है। नामावली, दरों, विश्लेषित मदों, मद इकाई, मात्रा और राशि की विशुद्धता का नियंत्रण पी.एस. प्राधिकारी के पास रहेगा।
2. जहां भी आवश्यक हो, सभी अनिवार्य अनुमोदन और ड्राइंगें पी.एस. प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएंगे।
3. कार्य निष्पादन के संगत वर्ष में बजट प्रावधान सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक अनुमान एवं व्यय संस्वीकृति की स्वीकृति सुनिश्चित करने के बाद ही व्यय किया जाएगा।
4. प्राथमिक परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक कार्य को सभी कोडल औपचारिकताओं तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों को पूरा करने के पश्चात् उचित निविदा आमंत्रण के माध्यम से ही निष्पादित किया जाएगा।

5. हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान इंजीनियरिंग विंग द्वारा व्यय में अधिकतम मितव्ययिता सुनिश्चित की जाएगी।
6. उद्यान/इंजीनियरिंग विंग को डायमेन्शन्स विद्यमान सेवाओं आदि के संबंध में व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी होगी।
7. पी.ई. को कार्य निष्पादन से पहले ई.ए.सी. की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
8. कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई भी भुगतान करने से पहले तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमान की सत्यता की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
9. विचलन/एसआई/ईआई के संस्वीकृति प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई अनुचित लाभ न मिले।
10. पेड़ों की कटाई, यदि आवश्यक हो के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा। यदि आवश्यक हो तो वैधानिक/सरकारी निकाय से कोई अन्य आवश्यक अनुमोदन लिया जा सकता है।
11. प्रारम्भिक अनुमान में विभिन्न उप-शीर्षकों अर्थात् सिविल, उद्यान, आकस्मिक व्यय और विभागीय प्रभार के लिए रखे गए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा/किसी अन्य उप-शीर्षक के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. इंजीनियरिंग विंग यह सुनिश्चित करेगा कि अतिक्रमित भूमि को, यदि कोई हो, वास्तविक कार्य निष्पादन से पहले खाली करा दिया जाए।
13. पी.एस. प्राधिकरण एवं उप मुख्य लेखा अधिकारी/उद्यान विंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य प्रभार स्थापना एवं लघु मर्दों पर आकस्मिक व्यय की 3% राशि से अधिक न हो।

14. मुख्य अभियन्ता/ उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दों का भुगतान केवल उन कार्यों के लिए किया जाएगा जो करार के अनुसार कार्य के दायरे में नहीं आते हैं।

15. पीएस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल (बाद के संशोधनों के साथ) और वित्तीय प्रत्यायोजन के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जाए।

संलग्नक उपरोक्तानुसार (लागत का सार)

बजट कोड	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	खाता शीर्ष	जोन
24600892	2422	12	एन.ए-॥	नरेला

लेखा अधिकारी (कार्य-॥)/डीडीए

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), डीडीए

यू ओ सं एफ2(20)/एओ(डब्ल्यू)/पीई/डीडीए/2024-25/05      दिनांक: 21/11/2024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
2. अभियन्ता सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
3. मुख्य अभियन्ता(नरेला)/डीडीए
4. मुख्य लेखा अधिकारी/डीडीए
5. निदेशक (वित्त)
6. निदेशक (कार्य)/डीडीए
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (कार्य)/परामर्शदाता
8. अधिशासी अभियन्ता/समन्वय

9. अभियंता अधिकारी II/अभियंता सदस्य

10 कार्यालय प्रति

लागत का सार

कार्य का नाम: नरेला सबसिटी में मास्टर प्लान रोड का निर्माण।

उप-शीर्षक- नरेला सबसिटी में सेक्टर जी-3/जी-4 और सेक्टर जी-7/जी-8 को जोड़ने वाली 60 मीटर मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।

क्रं.सं.	मद विवरण		राशि (रुपए)
1	सिविल	(ए)	93,89,82,113/-
2	इलैक्ट्रिकल	(बी)	1,64,79,360/-
3	उद्यान	(सी)	1,78,52,640/-
4	<b>कुल विकास लागत (ए+बी+सी)</b>	<b>(डी)</b>	<b>97,33,14,113/-</b>
5	3% की दर पर आकस्मिक व्यय (डी)	(ई)	2,91,99,423/-
6	1% की दर पर परामर्श	(एफ)	97,33,141/-
7	<b>कुल कार्य परिव्यय (डी+ई+एफ)</b>	<b>(जी)</b>	<b>1,01,22,46,677/-</b>
8	11.25% की दर पर विभागीय प्रभार जोड़े (जी)	(एच)	11,38,77,751/-
9	1% की दर पर तृतीय पक्ष कोटि गुणवत्ता आश्वासन (पी)	(आई)	97,33,141/-
10	<b>महायोग (जी+एच+आई)</b>	<b>(जे)</b>	<b>113,58,57,569/-</b>

(एक सौ तेरह करोड़ अठ्ठावन लाख सत्तावन हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये मात्र)

लेखा अधिकारी (कार्य-II)/डीडीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्य लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ-II

कार्य का नाम: द्वारका में 30/45/60 मीटर चौड़ी सड़कों पर पुराने/ पहले से लगे हुए/ क्षतिग्रस्त मौजूदा स्ट्रीट लाइट पोल, फीडर पिलर, केबल और अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति और प्रतिस्थापन।

वित्त सदस्य, डीडीए ने 19,52,82,986/- रुपये (उन्नीस करोड़ बावन लाख बयासी हजार नौ सौ छियासी रुपये मात्र) के प्रारंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की है, जिसमें 3% आकस्मिक व्यय और 11.25% विभागीय प्रभार शामिल हैं।

उपरोक्त वित्तीय सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. पीई की जांच मोटे तौर पर पीई के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की गई है। नामावली, दरों, विश्लेषित मदों, मद इकाई, मात्रा और राशि की विशुद्धता का नियंत्रण टी.एस. प्राधिकारी के पास रहेगा।
2. जहां भी आवश्यक हो, सभी अनिवार्य अनुमोदन और ड्राइंगें टी.एस. प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएंगे।
3. कार्य निष्पादन के संगत वर्ष में बजट प्रावधान सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक अनुमान एवं व्यय संस्वीकृति की स्वीकृति सुनिश्चित करने के बाद ही व्यय किया जाएगा।
4. प्राथमिक परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक कार्य को सभी कोडल औपचारिकताओं तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों को पूरा करने के पश्चात् उचित निविदा आमंत्रण के माध्यम से ही निष्पादित किया जाएगा।

5. हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान इंजीनियरिंग विंग द्वारा व्यय में अधिकतम मितव्ययिता सुनिश्चित की जाएगी।
6. उद्यान/इंजीनियरिंग विंग को डायमेन्शन्स विद्यमान सेवाओं आदि के संबंध में व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी होगी।
7. पी.ई. को कार्य निष्पादन से पहले ई.ए.सी. की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
8. कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई भी भुगतान करने से पहले तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमान की सत्यता की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
9. विचलन/एसआई/ईआई के संस्वीकृति प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई अनुचित लाभ न मिले।
10. पेड़ों की कटाई, यदि आवश्यक हो के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा। यदि आवश्यक हो तो वैधानिक/सरकारी निकाय से कोई अन्य आवश्यक अनुमोदन लिया जा सकता है।
11. प्रारम्भिक अनुमान में विभिन्न उप-शीर्षकों अर्थात् सिविल, उद्यान, आकस्मिक व्यय और विभागीय प्रभार के लिए रखे गए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा/किसी अन्य उप-शीर्षक के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. इंजीनियरिंग विंग यह सुनिश्चित करेगा कि अतिक्रमित भूमि को, यदि कोई हो, वास्तविक कार्य निष्पादन से पहले खाली करा दिया जाए।
13. टी.एस. प्राधिकरण एवं उप मुख्य लेखा अधिकारी/उद्यान विंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य प्रभार स्थापना एवं लघु मर्दों पर आकस्मिक व्यय की 3% राशि से अधिक न हो।

14. मुख्य अभियन्ता/ उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दों का भुगतान केवल उन कार्यों के लिए किया जाएगा जो करार के अनुसार कार्य के दायरे में नहीं आते हैं।

15. टीएस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल (बाद के संशोधनों के साथ) और वित्तीय प्रत्यायोजन के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जाए।

उपरोक्तानुसार संलग्न (लागत का सार)

बजट कोड	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	खाता शीर्ष	जोन
24900562	2421	10	एन.ए-॥	द्वारका

लेखा अधिकारी (कार्य-॥)/डीडीए

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), डीडीए

यू ओ सं एफ2(25)/एओ(डब्ल्यू)/पीई/डीडीए/2024-25/18      दिनांक: 25/03/2025

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
2. अभियन्ता सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
3. मुख्य अभियन्ता(द्वारका)/डीडीए
4. मुख्य लेखा अधिकारी/डीडीए
5. निदेशक (वित्त)
6. निदेशक (कार्य)/डीडीए
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (कार्य)/परामर्शदाता
8. अधिशासी अभियन्ता/समन्वय

9. अभियंता अधिकारी II/अभियंता सदस्य

a. कार्यालय प्रति

लागत का सार

कार्य का नाम: द्वारका में 30/45/60 मीटर चौड़ी सड़कों पर पुराने/ पहले से लगे हुए/ क्षतिग्रस्त मौजूदा स्ट्रीट लाइट पोल, फीडर पिलर, केबल और अन्य सहायक उपकरण की आपूर्ति और प्रतिस्थापन।

क्रं.सं.	मद विवरण		राशि (रुपए)
1.	कार्य का नाम: द्वारका में 30/45/60 मीटर चौड़ी सड़कों पर पुराने/ पहले से लगे हुए/ क्षतिग्रस्त मौजूदा स्ट्रीट लाइट पोल, फीडर पिलर, केबल और अन्य सहायक उपकरण की आपूर्ति और प्रतिस्थापन।	(ए)	17,04,22,591/-
2.	3% की दर पर आकस्मिक व्यय	(बी)	51,12,677.73
	<b>कुल (बी+सी)</b>	(सी)	<b>17,55,35,268.73</b>
3.	11.25% की दर पर विभागीय प्रभार (सी)	(डी)	1,97,47,717.73
	<b>महायोग (सी+डी)</b>	(जे)	<b>19,52,82,986.46</b>
	<b>(राउंडेड ऑफ)</b>		<b>19,52,82,986.00</b>

(उन्नीस करोड़ बावन लाख बयासी हजार नौ सौ छियासी रूपये मात्र)

लेखा अधिकारी (कार्य-II)/पीपीए

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्य लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ-II

कार्य का नाम: उद्यान ज़ोन के अंतर्गत भूमि का संरक्षण।

उप-शीर्षक: घाट क्षेत्र, यमुना वनस्थली, वाटिका, असिता और वजीराबाद बैराज से आईटीओ बैराज पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच यमुना नदी के बाढ़ के मैदान की शेष खाली पड़ी भूमि पर आरसीसी पोस्ट/स्ट्रट, कंसर्टिना कॉयल, एमएस ग्रिल के साथ बाड़ /रेलिंग प्रदान करने और लगाने का कार्य।

वित्त सदस्य, डीडीए ने 25,82,36,189/- रुपये (पच्चीस करोड़ बयासी लाख छत्तीस हजार एक सौ उनासी रुपये मात्र) के प्रारंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की है, जिसमें 3% आकस्मिक व्यय और 11.25% विभागीय प्रभार शामिल हैं।

उपरोक्त वित्तीय सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. पीई की जांच मोटे तौर पर पीई के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर की गई है। नामावली, दरों, विश्लेषित मदों, मद इकाई, मात्रा और राशि की विशुद्धता का नियंत्रण टी.एस. प्राधिकारी के पास रहेगा।
2. जहां भी आवश्यक हो, सभी अनिवार्य अनुमोदन और ड्राइंगें टी.एस. प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएंगे।
3. कार्य निष्पादन के संगत वर्ष में बजट प्रावधान सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक अनुमान एवं व्यय संस्वीकृति की स्वीकृति सुनिश्चित करने के बाद ही व्यय किया जाएगा।

4. प्राथमिक परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक कार्य को सभी कोडल औपचारिकताओं तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों को पूरा करने के पश्चात् उचित निविदा आमंत्रण के माध्यम से ही निष्पादित किया जाएगा।
5. हालांकि, कार्य निष्पादन के दौरान इंजीनियरिंग विंग द्वारा व्यय में अधिकतम मितव्ययिता सुनिश्चित की जाएगी।
6. उद्यान/इंजीनियरिंग विंग को डायमेन्शन्स विद्यमान सेवाओं आदि के संबंध में व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी होगी।
7. पी.ई. को कार्य निष्पादन से पहले ई.ए.सी. की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
8. कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई भी भुगतान करने से पहले तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमान की सत्यता की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
9. विचलन/एसआई/ईआई के संस्वीकृति प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निष्पादन एजेंसी को कोई अनुचित लाभ न मिले।
10. पेड़ों की कटाई, यदि आवश्यक हो के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा। यदि आवश्यक हो तो वैधानिक/सरकारी निकाय से कोई अन्य आवश्यक अनुमोदन लिया जा सकता है।
11. प्रारम्भिक अनुमान में विभिन्न उप-शीर्षकों अर्थात् सिविल, उद्यान, आकस्मिक व्यय और विभागीय प्रभार के लिए रखे गए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा/किसी अन्य उप-शीर्षक के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. इंजीनियरिंग विंग यह सुनिश्चित करेगा कि अतिक्रमित भूमि को, यदि कोई हो, वास्तविक कार्य निष्पादन से पहले खाली करा दिया जाए।

13. टी.एस. प्राधिकरण एवं उप मुख्य लेखा अधिकारी/उद्यान विंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य प्रभार स्थापना एवं लघु मर्दों पर आकस्मिक व्यय की 3% राशि से अधिक न हो।

14. मुख्य अभियन्ता/ उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मर्दों का भुगतान केवल उन कार्यों के लिए किया जाएगा जो करार के अनुसार कार्य के दायरे में नहीं आते हैं।

15. टीएस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल (बाद के संशोधनों के साथ) और वित्तीय प्रत्यायोजन के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जाए।

उपरोक्तानुसार संलग्न (लागत का सार)

बजट कोड	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	खाता शीर्ष	जोन
24600090	2422	12	एन.ए-॥	एचआर

लेखा अधिकारी (कार्य-॥)/डीडीए

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), डीडीए

यू ओ सं एफ2(17)/एओ(डब्लू)/पीई/डीडीए/2024-25/96दिनांक: 04/11/2024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
2. अभियन्ता सदस्य/डीडीए के निजी सचिव
3. मुख्य अभियन्ता(उद्यान)/डीडीए
4. मुख्य लेखा अधिकारी/डीडीए

5. निदेशक (वित्त)
6. निदेशक (कार्य)/डीडीए
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (कार्य)/परामर्शदाता
8. अधिशासी अभियंता/एचसीडी-X
9. अभियंता अधिकारी II/अभियंता सदस्य
10. कार्यालय प्रतिलिपि

लागत का सार

कार्य का नाम: उद्यान ज़ोन के अंतर्गत भूमि का संरक्षण।

उप-शीर्षक: घाट क्षेत्र, यमुना वनस्थली, वाटिका, असिता और वजीराबाद बैराज से आईटीओ बैराज पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच यमुना नदी के बाढ़ के मैदान की शेष खाली पड़ी भूमि पर आरसीसी पोस्ट/स्ट्रट, कंसर्टिना कॉयल, एमएस ग्रिल के साथ बाड़ /रेलिंग प्रदान करने और लगाने का कार्य।

क्रं.सं.	विवरण		राशि रुपए में
1.	भूमि का संरक्षण	(ए)	22,53,61,569.55
	कुल	(बी)	22,53,61,569.55
2.	3% की दर पर आकस्मिक व्यय	(सी)	67,60,847.09
	कुल(बी+सी)	(डी)	23,21,22,416.64
3.	11.25% की दर पर विभागीय प्रभार	(ई)	2,61,13,771.87
	महायोग (डी+ई) (राउंडेड ऑफ)	(एफ)	25,82,36,189

(पच्चीस करोड़ बयासी लाख छत्तीस हजार एक सौ उनासी रूपये मात्र)

लेखा अधिकारी (कार्य-II)/पीपीए